



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042026-271988
CG-DL-E-22042026-271988

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 280]
No. 280]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 22, 2026/वैशाख 2, 1948
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 22, 2026/VAISAKHA 2, 1948

भारतीय विधिज्ञ परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2026

फा. सं. बीसीआई:डी: 2197/2026.— अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 49 के साथ पठित धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रिट याचिका (सिविल) संख्या 226/2026, 'धन्य कुमार जैन एवं अन्य बनाम भारतीय विधिज्ञ परिषद (बार काउंसिल ऑफ इंडिया) एवं अन्य' में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 19.02.2026 के आदेश के अनुपालन में, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार दर्ज किया है:

"चूंकि आक्षेपित नियम उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों या उप-मंडल न्यायालयों के बार संघों के पदाधिकारियों को राज्य विधिज्ञ परिषद (स्टेट बार काउंसिल) के चुनाव लड़ने से वंचित करता है, इसलिए हम, प्रथम दृष्टया, नियमों के तहत इस तरह का कृत्रिम भेद पैदा करने का कोई औचित्य नहीं देखते हैं। परिणामस्वरूप, हम भारतीय विधिज्ञ परिषद (बार काउंसिल ऑफ इंडिया) को इस प्रावधान पर पुनर्विचार करने और एक सप्ताह के भीतर उपयुक्त संशोधन करने का निर्देश देते हैं।"

अतः अब, भारतीय विधिज्ञ परिषद (बार काउंसिल ऑफ इंडिया) एतद्वारा 'बार काउंसिल चुनाव हेतु भारतीय विधिज्ञ परिषद के समान नियम और अनिवार्य दिशा-निर्देश, 2016' में निम्नानुसार संशोधन करती है।

यह प्रस्तावित संशोधन भारतीय विधिज्ञ परिषद (Bar Council of India) द्वारा रिट याचिका (सिविल) 1319/2023 में दायर आई.ए. संख्या 78285/2026 के साथ माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखा गया था।

अंततः, माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने W.P. (C) No. 454/2026 में पारित अपने दिनांक 20.04.2026 के आदेश के माध्यम से कहा कि बार एसोसिएशन के निर्वाचित पदाधिकारियों की शिकायत का संशोधित प्रावधान के माध्यम से पर्याप्त रूप से निवारण कर दिया गया है और संशोधन को मंजूरी देते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बिना किसी देरी के भारत के राजपत्र (Official Gazette) में संशोधन प्रकाशित करने का निर्देश दिया।

इसलिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुमोदन पर इस संशोधन को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जा रहा है।

संशोधन

अध्याय III

1. बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की राज्य बार काउंसिल के चुनाव में भाग लेने की पात्रता

- (क) एक अधिवक्ता, जो किसी बार एसोसिएशन (अधिवक्ता संघ) का पदाधिकारी है, राज्य विधिज्ञ परिषद (स्टेट बार काउंसिल) का चुनाव लड़ने के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि ऐसा अधिवक्ता नामांकन दाखिल करते समय निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) के समक्ष यह वचनपत्र (अंडरटेकिंग) प्रस्तुत करे कि, राज्य विधिज्ञ परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने पर, वह अधिवक्ता एक साथ एक से अधिक प्रतिनिधि पद धारण नहीं करेगा और तदनुसार निर्वाचित होने पर बार एसोसिएशन के पदाधिकारी के पद से इस्तीफा दे देगा, या विकल्प के रूप में, यदि अधिवक्ता बार एसोसिएशन के पदाधिकारी के रूप में बने रहना चुनता है, तो वह राज्य विधिज्ञ परिषद के सदस्य के पद से इस्तीफा दे देगा।
- (ख) "यदि कोई अधिवक्ता, जो किसी बार एसोसिएशन (अधिवक्ता संघ) के पदाधिकारी का पद धारण करता है, राज्य विधिज्ञ परिषद (स्टेट बार काउंसिल) के सदस्य के रूप में निर्वाचित होता है, तो ऐसा अधिवक्ता, परिणाम घोषित होने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर, केवल एक प्रतिनिधि पद पर बने रहने के लिए लिखित विकल्प का प्रयोग करेगा और इसकी सूचना संबंधित बार एसोसिएशन और संबंधित राज्य विधिज्ञ परिषद को देगा।"
- (ग) ऐसे विकल्प का प्रयोग करने पर, अधिवक्ता अपने द्वारा धारित अन्य पद या पदों का त्याग कर देगा और रिकॉर्ड एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित बार एसोसिएशन (अधिवक्ता संघ) तथा संबंधित राज्य विधिज्ञ परिषद (स्टेट बार काउंसिल) को लिखित रूप में इसकी सूचना देगा।
- (घ) यदि राज्य विधिज्ञ परिषद (स्टेट बार काउंसिल) के सदस्य के रूप में निर्वाचित कोई भी अधिवक्ता परिणाम घोषित होने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर खंड (ख) के अनुसार विकल्प का प्रयोग करने और पद त्याग की सूचना देने में विफल रहता है, तो उक्त अवधि की समाप्ति पर ऐसे अधिवक्ता को राज्य विधिज्ञ परिषद के सदस्य का पद रिक्त कर दिया गया माना जाएगा।

2. प्रारंभ और प्रयोज्यता

यह संशोधन माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उचित अनुमोदन के पश्चात, भारत के राजपत्र (ऑफिशियल गजट) में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा; और यह उन सभी मामलों में लागू होगा जहाँ अभी तक चुनाव आयोजित नहीं हुए हैं।

प्रारूप।

नामांकन दाखिल करते समय दिया जाने वाला वचनपत्र

[[अध्याय III, खंड 1(a) के अंतर्गत]]

सेवा में,

निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर)

_____ विधिज्ञ परिषद के चुनाव

1. मैं, _____, अधिवक्ता, नामांकन संख्या _____, वर्तमान में _____ बार एसोसिएशन में _____ के पद पर कार्यरत हूँ, एतद्वारा 'बार काउंसिल चुनाव हेतु भारतीय विधिज्ञ परिषद के समान नियम और अनिवार्य दिशा-निर्देश, 2016' के अध्याय III के निबंधनों के अनुसार यह वचनपत्र प्रस्तुत करता/करती हूँ।
2. मैं यह वचन देता/देती हूँ कि यदि मैं _____ की विधिज्ञ परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होता/होती हूँ, तो मैं एक साथ एक से अधिक प्रतिनिधि पद धारण नहीं करूँगा/करूँगी।
3. मैं आगे यह वचन देता/देती हूँ कि राज्य विधिज्ञ परिषद के सदस्य के रूप में मेरे निर्वाचित होने पर, मैं _____ बार एसोसिएशन में _____ के पद से इस्तीफा दे दूँगा/दूँगी, या विकल्प के रूप में, यदि मैं बार एसोसिएशन के पदाधिकारी के रूप में बने रहना चुनता/चुनती हूँ, तो मैं राज्य विधिज्ञ परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दूँगा/दूँगी।

स्थान: _____

दिनांक: _____

हस्ताक्षर: _____

नाम: _____

नामांकन संख्या: _____

प्रारूप II

एक प्रतिनिधि पद बनाए रखने का विकल्प

[अध्याय III, खंड 1(b) के अंतर्गत]

सेवा में,

अध्यक्ष / सचिव, _____ विधिज्ञ परिषद (बार काउंसिल)

अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / महासचिव / सचिव / महासचिव, _____ बार एसोसिएशन

1. मैं, _____, अधिवक्ता, नामांकन संख्या _____, एतद्वारा यह कथन करता/करती हूँ कि वर्तमान में मैं निम्नलिखित प्रतिनिधि पदों पर कार्यरत हूँ:

(क) _____ बार एसोसिएशन में _____ का पद

(ख) _____ की विधिज्ञ परिषद का सदस्य

2. अध्याय III, खंड 1(b) के निबंधनों के अनुसार, मैं एतद्वारा केवल एक प्रतिनिधि पद बनाए रखने के लिए अपने लिखित विकल्प का प्रयोग करता/करती हूँ।

3. मैं _____ के पद को बनाए रखने का विकल्प चुनता/चुनती हूँ।

4. मैं यह स्वीकार करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा धारित अन्य सभी पद (उपरोक्त में से) इस विकल्प के अनुसार त्याग दिए गए माने जाएंगे।

स्थान: _____

दिनांक: _____

हस्ताक्षर: _____

नाम: _____

नामांकन संख्या: _____

प्रारूप III

पद त्याग की सूचना

[अध्याय III, खंड 1(c) के अंतर्गत]

सेवा में,

अध्यक्ष / सचिव, _____ की विधिज्ञ परिषद (बार काउंसिल)

अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / महासचिव / सचिव / महासचिव, _____ बार एसोसिएशन

विषय: बार काउंसिल चुनाव हेतु भारतीय विधिज्ञ परिषद के समान नियम और अनिवार्य दिशा-निर्देश, 2016 के अध्याय III के अंतर्गत पद त्याग की सूचना।

1. अध्याय III, खंड 1(b) के तहत मेरे द्वारा प्रयोग किए गए दिनांक _____ के विकल्प के क्रम में, मैं एतद्वारा सूचित करता/करती हूँ कि मैंने _____ के पद को दिनांक _____ से त्याग दिया है।

2. यह सूचना रिकॉर्ड अद्यतन (अपडेट) करने और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्तुत की जा रही है।

स्थान: _____

दिनांक: _____

हस्ताक्षर: _____

नाम: _____

नामांकन संख्या: _____

श्रीमंतो सेन, प्रमुख सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./54/2026-27]

BAR COUNCIL OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st April, 2026

F. No. BCI:D: 2197/2026— In exercise of the powers conferred by Section 7 read with Section 49 of the Advocates Act, 1961, and in compliance with the Order dated 19.02.2026 passed by the Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) No. 226 of 2026, Dhanya Kumar Jain & Ors. v. Bar Council of India & Anr., wherein the Hon'ble Supreme Court has recorded as follows:

“Since the impugned rule deprives office-bearers of the Bar Associations of High Courts, District Courts, or Sub-Divisional Courts from contesting the State Bar Council elections, we, prima facie, see no justification for creating such an artificial distinction under the Rules. Consequently, we direct the Bar Council of India to reconsider the provision and carry out a suitable amendment within one week.”

Now, therefore, the Bar Council of India hereby amends the Bar Council of India Uniform Rules and Mandatory Guidelines for the Elections of Bar Councils, 2016, as follows.

This proposed amendment was placed before the Hon'ble Supreme Court by Bar Council of India along with IA No. 78285 of 2026 filed in W.P.(C) 1319 of 2023.

Finally, the Hon'ble Supreme Court of India vide its order dated 20.04.2026 passed in W.P. (C) No. 454/2026, observed that the grievance of the elected office bearers of the bar association has been adequately redressed through the amended provision and approved the amendment and directed Bar Council of India to publish the amendment in the Official Gazette of India without any delay.

Therefore, this amendment is being published in the Official Gazette of India after approval of the Hon'ble Supreme Court.

AMENDMENT

In the Bar Council of India Uniform Rules and Mandatory Guidelines for the Elections of Bar Councils, 2016, in Chapter III, for the existing Chapter III and the provisions thereunder, the following shall be substituted, namely.

CHAPTER III**1. Eligibility of office-bearers of Bar Associations to contest election to a State Bar Council**

- a. An advocate who is an office-bearer of a Bar Association shall be eligible to contest the election to a State Bar Council, provided that such advocate files an undertaking before the Returning Officer at the time of filing the nomination stating that, if elected as a member of the State Bar Council, the advocate shall not simultaneously hold more than one representative post and shall accordingly resign as an office-bearer of the Bar Association upon election, or in the alternative shall resign as a member of the State Bar Council if the advocate chooses to continue as an office-bearer of the Bar Association.
- b. If any advocate who holds a position as an office-bearer of a Bar Association is elected as a member of a State Bar Council, such advocate shall, within fifteen days from the date of declaration of results, exercise a written option to retain only one of the representative posts and shall communicate the same to the concerned Bar Association and the concerned State Bar Council.
- c. Upon exercise of such option, the advocate shall relinquish the other post or posts held by him or her and shall intimate the same in writing to the concerned Bar Association and the concerned State Bar Council for record and necessary action.
- d. If any advocate elected as a member of a State Bar Council fails to exercise the option and communicate relinquishment in terms of clause (b) within fifteen days from the date of declaration of results, such advocate shall be deemed to have vacated the office of Member of the State Bar Council upon expiry of the said period.

2. Commencement and Applicability

This amendment shall come into force from the date of its publication in the official gazette of India, after due approval from the Hon'ble Apex Court; and this shall apply to all cases where elections have not yet been held.

FORMAT I**Undertaking at the Time of Filing Nomination****[Under Chapter III, Clause 1(a)]**

To

The Returning Officer

Election to the Bar Council of _____

1. I, _____, Advocate, Enrolment No. _____, presently holding the office of _____ in _____ Bar Association, hereby submit this undertaking in terms of Chapter III of the Bar Council of India Uniform Rules and Mandatory Guidelines for the Elections of Bar Councils, 2016.
2. I undertake that if I am elected as a member of the Bar Council of _____, I shall not simultaneously hold more than one representative post.
3. I further undertake that upon my election as a member of the State Bar Council, I shall resign from the office of _____ in _____ Bar Association, or in the alternative shall resign from the membership of the State Bar Council if I choose to continue as an office-bearer of the Bar Association.

Place _____

Date _____

Signature _____

Name _____

Enrolment No. _____

FORMAT II**Option to Retain One Representative Post****[Under Chapter III, Clause 1(b)]**

To,

Chairman / Secretary Bar Council of _____**President / Vice-President / General Secretary / Secretary / Secretary General _____ Bar Association,**

1. I, _____, Advocate, Enrolment No. _____, hereby state that I presently hold the following representative posts.
 - (a) _____ in _____ Bar Association
 - (b) Member, Bar Council of _____
2. In terms of Chapter III, Clause 1(b), I hereby exercise my written option to retain only one representative post.
3. I opt to retain the post of _____.
4. I acknowledge that all other posts held by me out of those stated above shall stand relinquished in accordance with this option.

Place _____

Date _____

Signature _____

Name _____

Enrolment No. _____

FORMAT III**Intimation of Relinquishment****[Under Chapter III, Clause 1(c)]****To,****Chairman / Secretary, Bar Council of _____****President / Vice-President / General Secretary / Secretary / Secretary General _____ Bar
Association****Subject: Intimation of relinquishment under Chapter III of the Bar Council of India Uniform Rules and
Mandatory Guidelines for the Elections of Bar Councils, 2016**

1. In continuation of my option dated _____ exercised under Chapter III, Clause 1(b), I hereby intimate that I have relinquished the post of _____ with effect from _____
2. This intimation is being furnished for record updation and necessary action.

Place _____

Date _____

Signature _____

Name _____

Enrolment No. _____

SRIMANTO SEN, Principal Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./54/2026-27]